

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(25)नविवि/सामान्य/2014पार्ट

जयपुर दिनांक 4 OCT 2017


आदेश

दिनांक 28.03.2017 को आयोजित जयपुर विकास प्राधिकरण की 62वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा में जोनिंग रेग्यूलेशन व भवन विनियमों के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव रखे गये थे। जिन प्रस्तावों पर प्राधिकरण की 62वीं बैठक में निर्णय किये गये, तथा इनमें से चार प्रावधान राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन चार प्रावधानों को लागू किये जाने हेतु समसख्यंक आदेश दिनांक 27.04.2017 जारी किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 के क्रम में जारी निर्देश दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में विभागीय आदेश दिनांक 27.04.2017 के संशोधन प्रस्ताव संबंधित न्यास/प्राधिकरण अथवा मण्डल की बैठक में अनुमोदन पश्चात अग्रिम आदेशों तक लागू नहीं किये जाने तथा निर्णय को उस समय तक स्थगित रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। प्रकरण में पुनः विचार विमर्श उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 27.04.2017 के निम्न बिन्दु संख्या 1 व 4 को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. मिश्रित भू-उपयोग एवं व्यवसायिक उपयोग के भूखण्ड पर आवासीय निर्माण भी प्रस्तावित होने पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत ई डब्ल्यू.एस./एल. आई.जी. श्रेणी के आवास/भूखण्ड आरक्षित किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।
4. वेयरहाउसिंग व गोदाम के लिये भवन विनियमों में न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर व सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित है, जबकि गैस गोदाम के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर निर्धारित है। इसी प्रकार कई अन्य वस्तुओं के भण्डारण के लिये 1500 वर्गमीटर से कम भूमि की आवश्यकता होती है। इस गतिविधि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वेयरहाउसिंग एवं गोदाम के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर व सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। कुल निर्मित क्षेत्रफल का अधिकतम 25 प्रतिशत क्षेत्र कार्यालय व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये अनुज्ञेय किया जावे। ऐसे भूखण्डों पर सैटबैक्स भवन विनियमों के अनुसार रखा जाना आवश्यक होगा। सैटबैक के अन्दर जो भी आच्छादन प्राप्त होगा वह अनुज्ञेय किया जायेगा।

गैस गोदाम व अन्य हजार्डस उपयोगों हेतु नियमानुसार संबंधित विभाग की अनुमति आवश्यक होगी तथा मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित यूज जोन में अनुज्ञेय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

 4/10/17  
(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

